न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 28 / 2016

1 शंकरलाल पुत्र हीरालाल
2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हीरालाल
3 सुशील कुमार पुत्र हीरालाल
4 कमलेश कुमार पुत्र बनवारीलाल
5 ओमप्रकाश पुत्र गणपतराम
जाति महाजन निवासी जहाज तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र रिछपाल
2 बाबुलाल पुत्र रिछपाल
जाति नाई निवासीगण ग्राम मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 तहसीलदार एवं उप पंजीयक तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि.
बखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
मु.नं. 174 / 2015 निर्णय दिनांक 23.02.2016
प्रार्थना पत्र उनवानी रामजीलाल बनाम शंकरलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मदन सिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 17·10·24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 174/2015 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम मावता में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पिता रिछपाल की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 365 रकबा 17 बिश्वा, खसरा नम्बर 365 रकबा 7 बिश्वा, खसरा नम्बर 372 रकबा 6 बीघा 17 विश्वा थी। रिछपाल ने दिनांक 02.09.69 को भूमि खसरा नम्बर 365, 366 व 372/2 में से 8 बिश्वा अपीलार्थीगण के पूर्वज हीरालाल व गणपत लाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा करवा दिया। अपीलार्थीगण के खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 372 के 372/2 रकबा 8 बिश्वा पड़े। गत खसरा नम्बर 365 रकबा 17 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 284 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 7 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 914/288 रकबा 0.09 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 372/2 रकबा 8 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 930/279 रकबा 0.10 हैक्टेयर आया। रेस्पोडेन्टगण विचारण न्यायालय के समय अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

निषेधाज्ञा घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वादीगण के पश्चिम दिशा में सटकर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 284 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 914/288 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 930/279 रकबा 0.10 है. दर्शाई गई है जिसमें केवल 930/279 रकबा 0.10 हैक्टेयर को विवादित होना लिखा है तथा उक्त भूमि वादीगण के रकबे से कम की गई है जिसका उन्हें टीनेन्ट डिकलेयर किया जावे तथा उक्त भूमि की खातेदारी अपीलार्थी की खातेदारी से हटाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावें। रेस्पोडेन्टगण ने दावा के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण को खसरा नम्बर 930/279 को विक्रय नहीं करने की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 930/279 की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जो अविधि पूर्ण है। अपीलार्थीगण के पूर्वज से रेस्पोडेन्ट के पिता रिछपाल से वर्तमान खसरा नम्बर 284, 914/288, 930/279 सन दिनांक 02.09.69 को खरीदी थी तभी से काबिज चले आ रहे है सन 1989 से राजस्व रिकार्ड अपीलार्थीगण के हक में चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टगण ने उक्त रजिस्ट्री को आज तक कही चुनौती नहीं दी है रेस्पोडेन्ट के पिता ने एक रजिस्ट्री के तीन खसरा नम्बर की भूमि खरीदी थी जिसमें रेस्पोडेन्टगण ने दो खसरा नम्बर बाबत कोई आपत्ति नहीं की केवल खसरा नम्बर 930/279 को विवादित भूमि लिखने मात्र से भूमि विवादित नहीं होती है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को समझे वगैर अपीलार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम मातवा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 930/279 रकबा 0.10 हैक्टेयर के कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। उक्त भूमि की खातेदारी अनावेदकगण के

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन आवेदकगण का कथन है कि मौके पर उक्त विवादित भूमि पर वे कब्जा काश्त है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा आवेदकगण के रकबे में भी तब्दीली की गई है। जिसके कारण उनकी खातेदारी भूमि का रकबा 0.10 हैक्टेयर कम होना बताय है चूंकि विवादित भूमि के हक हकूक का निर्णय तो वादपत्र की विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। प्रकरण में अधिवक्ता अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त लागु नहीं होते है। विवादित भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य कोई अनावश्यक विवाद एवं मकदमाबाजी नहीं बढ़े इसके लिए उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति तादौराने वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मातवा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 930/279 रकबा 0.10 हैक्टेयर के कब्जा काश्त को लेकर विवाद है। उक्त भूमि की खातेदारी अनावेदकगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन आवेदकगण का कथन है कि मौके पर उक्त विवादित भूमि पर वे कब्जा काश्त है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा आवेदकगण के रकबे में भी तब्दीली की गई है। जिसके कारण उनकी खातेदारी भूमि का रकबा 0.10 हैक्टेयर कम होना बताया है चूंकि विवादित भूमि के हक हकूक का निर्णय तो वादपत्र की विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादित भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य कोई अनावश्यक विवाद एवं मकदमाबाजी नहीं बढ़े इसके लिए उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति तादौराने वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर